बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

BCC:ISD:111:16:258

Date: 01st June 2019

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda -23rd Annual General Meeting (AGM) & Book Closure

We advise that, it has been decided to convene 23rd Annual General Meeting of the shareholders of our Bank as per details given below:

1	**Date/ Time**	**Thursday, 27th June 2019 at 10.00 a.m.**
2	Venue	Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara -390019
3	Agenda/ Business	ORDINARY BUSINESS: 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts. SPECIAL BUSINESS: 2. To approve Equity Capital Plan of Bank for FY2019-20 by Special Resolution. 3. To approve issuance upto 15,00,00,000 (Fifteen Crore) fresh equity shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") pursuant to SEBI (SBEB) Regulations, 2014 by Special Resolution.
4	Book Closure	20th June 2019 to 27th June 2019 (both days inclusive)
5	Cut-off date	19th June 2019 - To attend the AGM & Vote through remote E-Voting/Voting at the Meeting.
6	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on Monday, 24th June 2019 to 5.00 p.m. on Wednesday, 26th June 2019.

We also annex a copy of AGM Notice.

We request you to take notice under regulation 42 and other applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन /Phone: 91 22 6698 5812/ 5733 • ई-मेल /E-mail: companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब /Web: www.bankofbaroda.co.in

23वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for 23rd Annual General Meeting

गुरूवार, 27 जून, 2019, सुबह 10.00 बजे, वडोदरा
Thursday, 27th June 2019 at 10.00 a.m. at Vadodara

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

निवेशक सेवा विभागः
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सातवीं मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT:
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विषय
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस

NOTICE 03

टिप्पणियां

NOTES 08

प्रॉक्सी फार्म

FORM OF PROXY 21

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय : बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
(**वेबसाईटः** www.bankofbaroda.com)

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, 27 जून, 2019 को प्रात: 10.00 बजे दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकडी के पास, वडोदरा – 390 019में संपन्न होगी:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2019 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे,लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 2: पूंजी-आयोजन 2019-20

निम्नलिखित संकल्प पर एक **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना उसे पारित करना.

"संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम),राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार (**जीओआई**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियनम 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई,सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, **बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (इसके पश्चात इसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो

Bank of Barodra
Head Office: Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara - 390 007.
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
(Website: www.bankofbaroda.com)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Thursday, 27th June 2019 at 10.00 a.m. at Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390 019, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 2: Capital Plan 2019-20

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a **"Special Resolution.**

"RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations , 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the**

अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा रु. 11,900/- करोड़ (रुपये ग्यारह हजार नौ सौ करोड़ मात्र) तक के कुल प्रीमियम सहित बैंक के प्रत्येक रू. 2/- के इतने इक्विटी शेयर अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी),फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/-करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाज़ार भाव के प्रति प्रीमियम पर सृजित, ऑफर, जारी और आबंटित (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है.

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आवंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा. अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तातंरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 (**"आईसीडीआर विनियम"**) के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे".

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं."

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के मुताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की

Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad such number of equity shares of face value of Rs.2/- each of the bank including premium aggregating up to Rs 11,900/- crore (Rupees Eleven Thousand Nine Hundred crore only) by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"ICDR Regulations")** and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the

प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है.

ख) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है.

ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू होता है, परंतु अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरुप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की

ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations,1998 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium

संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त शेयरों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें."

<u>मद संख्या 3:</u> बैंक के कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना.

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित प्रतीत होने पर उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** दिनांक 21.01.2019 को आयोजित की गई असाधारण सामान्य बैठक में पारित किए गए विशेष संकल्प के आशोधन में, बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 ("विनियमन"), समय-समय पर यथासंशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक ("भा.रि.बैंक"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जो भी लागू हो और/या कोई अन्य प्राधिकारी इस संबंध में जैसी भी आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी (यदि कोई है) के अधीन और ऐसे अनुमोदन देने के लिए ऐसी सभी शर्तों, नियमों और उनमें संशोधन जैसा उनके द्वारा निर्धारित किया जाए के अधीन और जिससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना आवश्यक हो और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के प्रावधानों के अधीन, आज की तारीख तक यथा संशोधित (इसके बाद सेबी विनियमन के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक से और सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे दिशानिर्देश (यदि कोई हैं) के अनुसरण में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और समय-समय पर अन्य सभी लागू कानून के अंतर्गत अधिसूचना, परिपत्र और स्पष्टीकरण और सेबी (सूचीयन, दायित्व

or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

<u>Item Number 3:</u> Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** in modification of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 21.01.2019, pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities. Notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Foreign Exchange Management Act, 1999 and all other applicable laws from time to time and subject

और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर) आज की तारीख तक यथासंशोधित, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनएसई) लिमिटेड नामक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किए गये एकीकृत सूचीयन करार के प्रावधानों के अधीन और किसी भी समय किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी और ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी देते समय ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित या दिए गए अनुदेशों के अनुरूप कोई शर्तें और संशोधन जिससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना और उसे स्वीकार करना आवश्यक हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति जो एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "निदेशक मंडल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल ने गठित किया है/करेगा, ऐसी समिति जो इस संकल्प द्वारा प्रदान की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, का समावेश माना जाएगा) को प्रदान की जा रही है जिससे वे एक या उससे अधिक श्रृंखला में ऐसे कर्मचारियों, जो भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहे हैं, जिनसे तात्पर्य है, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(कों) ("कर्मचारी") जैसा भी निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाए, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (यहां के बाद "बीओबी – ईएसपीएस" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत और निदेशक मंडल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित किए गए ऐसे नियमों और शर्तों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर लाभांश के भुगतान सहित इस रूप में जिससे कि भारत सरकार की धारिता 52% से कम न हो, प्रत्येक रू. 2 (रूपए दो मात्र) के अंकित मूल्य के कुल 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटी शेयर इस रूप में सृजित, प्रदान, ऑफर, जारी और आवंटित कर सकें, जो सभी उद्देश्यों हेतु व सभी संदर्भों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक एसबीईबी विनियमन के विनियमन 15 में बताए गए अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुपालन करेगा."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल "बीओबी – ईएसपीएस" के अंतर्गत जारी एवं आवंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीयन करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमनों के प्रावधानों और शर्तों के अधीन जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, वहां सूचीबद्ध करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल और समिति को एतदद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि "बीओबी – ईएसपीएस" को लागू करने, निर्धारित करने, मूल्यांकित करने, उस पर निर्णय लेने और उसे प्रभावी बनाने के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर जो निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए और "बीओबी – ईएसपीएस" के नियमों और शर्तों में मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में कोई संशोधन, परिवर्तन, विविधिकरण या आशोधन करने या "बीओबी – ईएसपीएस" को इस तरीके से रद्द करने, हटाने, समाप्त करने या संशोधित करने, जैसा कि निदेशक मंडल अपने एकल विवेकाधिकार से निर्धारित करे और "बीओबी – ईएसपीएस" को लागू करने में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का भी समाधान कर सकें और इस संकल्प के प्राधिकार को शेयरधारकों द्वारा दिया गया ऐसा अनुमोदन माना जाएगा कि उनकी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बगैर प्रस्तावित "बीओबी – ईएसपीएस" के अनुसरण में शेयर जारी किए जा सकें."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल को एतद द्वारा एसबीईबी विनियमन और अन्य लागू कानूनों, दिशानिर्देश, नियमों और विनियमनों के अनुपालन में उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल की समिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या ऐसे अन्य

to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable, approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) new equity shares of face value of Rs.2/- (Rupees Two only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under Bank of Baroda Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "BOB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SBEB Regulations.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "BOB-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board and Committee thereof be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "BOB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the BOB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "BOB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "BOB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "BOB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to a Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such

अधिकारी को जैसा भी उचित लगे, अपनी समस्त अथवा किसी भी शक्ति को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22.05.2019

नोट :

1 **व्याख्यात्मक विवरण**

मद संख्या 2 एवं 3 पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2 **प्रॉक्सी की नियुक्ति** :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह इस सूचना के साथ संलग्न अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फार्म "बी" में भरा नहीं गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2019 को शाम 4.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग,प्रधान कार्यालय 7 वां तल, बड़ौदा भवन , आर.एस. नंबर 576, आर.सी. दत्ता रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने , अल्कापुरी , बड़ौदा (गुजरात) 390 007 को प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

3 **प्रतिनिधि की नियुक्ति** :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात **शुक्रवार, 21 जून, 2019 को शाम 4.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4 **मताधिकार** :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.**

other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SBEB Regulations and other applicable laws, guidelines, rules and regulations."

FOR BANK OF BARODA

P.S. Jayakumar

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 22nd May 2019

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 2 & 3 is annexed hereto.

2. **Appointment of Proxy:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to this Notice and also available on Bank's website. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC-AML Department, 7th Floor, Baroda Bhavan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007 not less than four days before the date of meeting i.e. **on or before 4.00 p.m. on Friday, 21st June, 2019** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **Appointment of Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **4.00 p.m. on Friday, 21st June, 2019.**

4. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

5 **उपस्थिति – पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची)**:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची–सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची – सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जो भी लागू हो. मतपत्रक पास/एंट्री पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपने मत का प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुन: नहीं दे सकेंगे.

6 **दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर गुरुवार, 20 जून 2019 से गुरुवार, 27 जून 2019 तक (दोनों दिन सहित) 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार वे शेयरधारक जिनके पास शुक्रवार, 19 जून, 2019 तक बैंक के शेयर हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

7. **दूरस्थ ई-वोटिंग**

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

क. बैंक ने ई–वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को दूरस्थ ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.

ख. **दूरस्थ ई–वोटिंग हेतु पोर्टल सोमवार, 24 जून, 2019 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 26 जून, 2019 को शाम 5 बजे तक पूरा समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the meeting, if voting right is not exercised through remote e-voting.

5. **Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):**

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

6. **Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders*:***

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, 20th June 2019 to Thursday 27th June 2019 (both days inclusive)** for the purpose of 23rd Annual General Meeting. Accordingly, shareholders holding Bank’s Shares as on **Friday, 19th June 2019** will be authorized to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the meeting.

7. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **Karvy Fintech Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Monday, 24th June 2019 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on**

ग. **दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात बुधवार, 19 जून, 2019 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

घ. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए 24 जून, 2019 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.karvy.com

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

vi सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (19 जून, 2019) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप ASSENT अथवा DISSENT, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित

Wednesday, 26th June 2019 (both days inclusive).

c) **Remote e-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Wednesday 19th June 2019,** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting** are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: ***https://evoting.karvy.com*** on opening of the same on **24th June, 2019** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (19th June 2019) will appear. You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent

एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 23वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.

xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

8. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और बैठक में उपस्थित अंतिम शेयरधारक द्वारा वोट देने तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी.

इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक हेतु कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में वोटों की संख्या निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 19 जून 2019 तक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

9. चुनाव का संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक के दौरान आयोजित होने वाली वोटिंग में अन्य शेयरधारक के साथ संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. अध्यक्ष किसी अन्य उपस्थित तथा मत देने के लिए पात्र शेयरधारक को उनकी सहमति से, द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकते हैं.

10. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 23rd AGM / Abridged Annual Report 2018-19 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Fintech Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

8. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last shareholder present, cast his vote.

Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., **19th June 2019** in respect of all the items of the Agenda for the 23rd AGM.

9. SCRUTINIZERS AT POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the agenda items of the meeting. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the meeting for the voting to be conducted at the Meeting. The Chairman may announce the name of any other shareholder present and entitled to vote to act as second scrutinizer subject to his consent.

10. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

11. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

क. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी **प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही रजिस्टर करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.**

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

12. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक ही खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

13. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमीशन अथवा ट्रांसपोजिशन को छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि 01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका अपना डीमेट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं:- (i) बाधारहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों की गुमशुदगी से बचाव (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन.

14. पिछले वर्ष का दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम

11. Change of Address / Dividend Mandate:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Karvy Fintech Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

12. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

13. Dematerialization of Physical Holdings – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, **requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019**. Hence, we request the shareholder to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any of previous years:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)

से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "*अदत्त लाभांश खाते*" में अंतरित करें.

"*अदत्त लाभांश खाते*" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 **तक** घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही **आईईपीएफ** को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2011-12 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश –अंतरिम / अंतिम	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
			बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2011-2012	अंतिम	2 अगस्त, 2019	3 सितंबर, 2019	5 अगस्त, 2019
2	2012-2013	अंतिम	29 जुलाई, 2020	2 सितंबर, 2020	1 सितंबर, 2020
3	2013-2014	अंतरिम	14 फरवरी, 2021	5 अप्रैल, 2021	17 मार्च, 2021
4	2013-2014	अंतिम	25 जुलाई , 2021	20 सितंबर, 2021	1 सितंबर, 2021
5	2014-2015	अंतिम	29 जुलाई, 2022	27 अगस्त, 2022	31 अगस्त, 2022
6	2015-2016	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	2016-2017	अंतिम	06 अगस्त, 2024	29 अगस्त, 2024	कुछ नहीं
8	2017-2018	कुछ नहीं	लागू नहीं	4 सितंबर, 2025	कुछ नहीं

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निदेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

कार्वी फिनटेक प्रा.लि. **(यूनिट – बैंक ऑफ़ बड़ौदा)** कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 फोन न. 040 6716 2222 एवं टोल फ्री: 1800 345 4001 ई-मेल: einward.ris@karvy.com	**निवेशक सेवाएं विभाग** बैंक ऑफ बड़ौदा , 7 वां तल , बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26 , जी ब्लॉक , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स , बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

15. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी/बैंक के साथ पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें मूर्त रूप में भारतीय डाक द्वारा और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की सॉफ्ट कापी के रूप में भेजी जा रही हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2010-11 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2011-12 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Dividend – Interim / Final	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
			Bank of Baroda	erstwhile Vijaya Bank	erstwhile Dena bank
1	2011-2012	Final	2nd August, 2019	3rd September, 2019	5th August, 2019
2	2012-2013	Final	29th July, 2020	2nd September, 2020	1st September, 2020
3	2013-2014	Interim	14th February, 2021	5th April, 2021	17th March, 2021
4	2013-2014	Final	25th July, 2021	20th September, 2021	1st September, 2021
5	2014-2015	Final	29th July, 2022	27th August, 2022	31st August, 2022
6	2015-2016	NIL	Not Applicable	NIL	NIL
7	2016-2017	Final	6th August, 2024	29th August, 2024	NIL
8	2017-2018	NIL	Not Applicable	4th September, 2025	NIL

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2011-12 onwards are advised to approach the Bank’s Registrar and Share Transfer Agent or at Bank’s Investors’ Services Department at Mumbai on the following address :

Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Phone No. 040 6716 2222, Toll Free : 1800 345 4001 E- mail :einward.ris@karvy.com,	**Investors’ Services Department** Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

15. Request to Members:

Please note that copies of the Abridged Annual Report-2018-19 in physical form are being **dispatched separately** by permitted mode to those Shareholders who have not registered their email IDs with the DP/Bank and alongwith Full Annual Report 2018-19 in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The

वितरित नहीं की जाएंगी, अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

ऐसे शेयरधारक जो 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण संस्करण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपना अनुरोध हमारे आरटीए अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. या बैंक के निवेशक सेवाएँ विभाग को बिन्दु क्रमांक 14 में उल्लिखित पते पर भेजना होगा.

ऐसे शेयरधारक जो 23 वें वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि विधिवत हस्ताक्षरित (डीपी आईडी / ग्राहक आईडी / फोलियो नंबर के साथ) प्रश्न / जिज्ञासा बैंक के पास भेज सकते हैं. बैंक के पास भेजे जाने वाले ये प्रश्न/जिज्ञासा 23 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से 7 दिन पूर्व अर्थात 19 जून 2019 तक बैंक को प्राप्त हो जानी चाहिए.

16. वेबकास्ट की व्यवस्था

सेबी(एलओडीआर)विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा दिनांक 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे से अपने शेयरधारकों द्वारा हमारी वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही वेबकास्टिंग के माध्यम से देखने की व्यवस्था की गई है.

एकतरफा लाइव वेबकास्टिंग से संबन्धित निर्देश इस प्रकार हैं :

- ई वोटिंग करने हेतु http://evoting.karvy.com के ई वोटिंग मॉड्यूल पर अपने यूजर आई डी व पासवर्ड का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए लॉगिन करने पर आपके स्क्रीन पर 'जेनरल मीटिंग लाइव विडियो स्ट्रीमिंग' का विकल्प दिखाई देगा.
- इस लिंक पर क्लिक करने पर शेयरधारक द्वारा जिन कंपनियों के शेयर लिए गए हैं व जिनके लिए 'लाइव स्ट्रीमिंग' के विकल्प उपलब्ध कराये गए हैं, उन सभी के नाम प्रदर्शित हो जाएंगे।
- शेयरधारक को बैंक ऑफ बड़ौदा का विकल्प चुनना होगा और इसके बाद स्क्रीन पर 'लाइव स्ट्रीमिंग' प्रदर्शित होगा.

<u>विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध</u>

भारत सरकार द्वारा आंरभ की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 14 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "<u>www.bankofbaroda.com</u>" The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copy at the meeting.

Shareholders desirous of getting full version of physical Annual Report 2018-19 may send their request to our RTA i.e. Karvy Fintech Pvt Ltd or Investor Services Dept. of Bank at address mentioned at point no. 14.

Shareholders desirous of asking questions / queries pertaining to Annual Report 2018-19 in the 23rd AGM may send their questions / queries in writing, duly signed (with DP ID / Client ID / Folio No.) so that the same be received to the Bank, seven days before 23rd AGM i.e. on or before **19th June 2019**.

16. Arrangement of webcast

The Bank has in compliance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 made arrangements for Web-Casting facility to our shareholders for viewing the proceeding of our Annual General Meeting on 27th June, 2019 from 10.00 a.m. onwards. Shareholders who cannot attend the Meeting can avail this facility by browsing the link ***https://evoting.karvy.com.***

Instructions for One-way Live Webcasting are as under:

- Upon successful login at https://evoting.karvy.com to e-Voting Module using User ID and Password for e-voting , the option of 'General Meeting Live video Streaming' will appear on the screen.
- Click on the link will display the list of all those companies in which the shareholder is holding shares and for which option is provided for Live Streaming.
- Shareholder is required to select Bank of Baroda, thereafter Live Streaming will display on the screen.

<u>SPECIAL ATTENTION REQUESTED</u>:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 14 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 – पूंजी आयोजन 2019-20

बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूँजी एवं लीवरेज अनुपात की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2009 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भा.रि.बैं. के अन्य लागू विनियमों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे. आपके निदेशकगण, इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प हेतु हितबद्ध नहीं समझा जाएगा.

मद संख्या 3 – बैंक के कर्मचारियों एवं पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के विनियमन 6(2) के अधीन यथाअपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण

दिनांक 21.01.2019 को आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के अनुसरण में बैंक के कर्मचारियों एवं पूर्णकालिक निदेशकों को 10,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया.

आपको विदित ही है कि 01 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ समामेलन हो गया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने हेतु निदेशक मण्डल ने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या को 10,00,00,000 से बढ़ाकर 15,00,00,000 करने हेतु निर्णय लिया है.

असाधारण सामान्य बैठक के व्याख्यात्मक विवरण में यथा उल्लेखित बैंक कर्मियों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण समेत सभी स्थायी (पात्र कर्मचारियों) को नये इक्विटी शेयर जारी किए जाने का प्रस्ताव

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 2 – Capital Plan 2019-20

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item Number 3 - Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms Regulation 6(2) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

At the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 21.01.2019 (EGM) the shareholders have passed a special Resolution authorising issue of 10,00,00,000 equity shares of the Bank to Employees and Whole time Directors of the Bank pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

As you are aware Dena Bank and Vijaya Bank have been amalgamated with the Bank effective 1st April 2019 resulting in substantial increase in the number of employees.

To provide an opportunity to the employees of erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank, the Board of Directors have decided to increase the number of shares to be issued to Employees from 10,00,00,000 to 15,00,00,000. This issue will be within overall limit of capital plan 2019-20 of Rs. 11,900 crore of the Bank.

As indicated in the explanatory statement of the EGM, with a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent Employees including the Managing

करता है. प्रस्तावित निर्गम बैंक की दीर्घकालिक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा तथा बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को मजबूती प्रदान करेगा.

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 (सेबी विनियम) के अनुपालन के क्रम में बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए "बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना" ("बीओबी-ईएसपीएस") तैयार किया है. यह योजना लागू कानूनों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की क्षतिपूर्ति समिति द्वारा शासित की जाएगी.

बैंक ने भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ अन्य नियामक एजेंसियों आदि के बाध्यकारी/विनियामक अनुमोदनों के अधीन एक या अधिक अंशों में रु. 2/- के अंकित मूल्य तथा उचित प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("बीओबी-ईएसपीएस") के माध्यम से 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) तक के इक्विटी शेयर पूंजी इस प्रकार जुटाने हेतु निर्णय लिया है जिससे कि भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% से कम न हो.

दीर्घकालिक संसाधन जुटाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्य इस प्रकार है:

- बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे योगदान के फलस्वरूप उन्हें आकर्षित करने, अपने साथ बनाए रखने तथा पुरस्कृत करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है ताकि कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता में योगदान हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके.
- बैंककर्मियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार के अवसरों के जरिए प्रेरित करना.
- बैंक का निरंतर विकास करना और कर्मचारियों के हितों को बैंक के दीर्घकालिक हितों के साथ सुसंगत बनाते हुए शेयरधारिता मूल्यों का सृजन करना.
- कर्मचारियों में बैंक के प्रति अपनेपन एवं प्रतिभागिता की भावना उत्पन्न करना.
- बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने तथा बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकताओं को निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु इक्विटी पूंजी जुटाना.

जारी करने हेतु प्रस्तावित नये इक्विटी शेयरों को बैंक द्वारा यदि कोई लाभांश जारी किया जाता है, उसके भुगतान सहित, सभी दृष्टि से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समनुरूप माना जाएगा.

सेबी के (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 41 (4) एवं (सेबी (एलओडीआर)) तथा एसबीईबी विनियमन के विनियम 6 के अनुपालन के क्रम में बैंक, पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित किए जाने हेतु विशेष संकल्प का प्रस्ताव करता है.

सेबी परिपत्र क्रमांक सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुसरण में इससे संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) इस प्रकार है:

ए) योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक पात्र कर्मचारियों को "बीओबी-ईएसपीएस" के लागू नियमों के अनुरूप बैंक के प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) शेयर, ऑफर करते समय लागू नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के

Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SBEB Regulations), the Bank has formulated a Scheme namely Bank of Baroda Employees Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS"). The Scheme will be administered by the Compensation Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The Bank has decided to raise Equity Share Capital upto 15,00,00,000 (Fifteen Crore) equity shares with a face value of Rs.2/- each, at an appropriate premium, through Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme (BOB-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory / regulatory approvals from the GoI / RBI / SEBI / Other regulatory agencies etc., in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To enable the Bank to attract, retain and reward Employees for our Bank by sharing the value created by them and to motivate them to contribute to the growth and profitability of the Company.
- To motivate the Employees of the Bank with incentives and reward opportunities;
- To achieve sustained growth of the Bank and the creation of shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long-term interests of the Bank; and
- To create a sense of ownership and participation amongst the Employees.
- To raise equity capital to utilize for the purpose to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SBEB Regulations, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2/2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

a. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 15,00,00,000 (Fifteen Crore) new equity shares of face value of Rs.2/- each of the Bank to all the Eligible Employees under BOB-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and

अधीन इस प्रकार जारी करने का प्रस्ताव करता है, जिससे कि भारत सरकार का हिस्सा 52.00% से कम न हो.

बी) प्रदान किए जाने वाले शेयरों की संख्या:

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को कुल 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटि शेयर जारी करने का प्रस्ताव है.

सी) बीओबी-ईएसपीएस" में शामिल होने एवं लाभार्थी बनने हेतु पात्र कर्मचारियों के समूहों का निर्धारण:

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी

डी) वेस्टिंग की आवश्यकता और उसकी अवधि :

लागू नहीं.

ई) सेबी (एसबीईबी) विनियमन के विनियमन 18 (1) और 24(1) के अधीन (जो भी लागू हो) अधिकतम अवधि जिसके अंतर्गत विकल्प/ एसएआर/ लाभ निहित होगा:

लागू नहीं.

एफ) एक्सरसाइज मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्र:

ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण ऑफर के समय निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य, बोर्ड/समितियों द्वारा ऑफर/ खरीद मूल्य का निर्धारण किए जाने की तारीख से पूर्ववर्त्त तारीख पर गत दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर कोट किए गए इक्विटी शेयरों के वॉल्यूम के साप्ताहिक उतार-चढ़ाव के औसत आधार पर निर्धारित होगा जिसमें 25% की छूट होगी.

जी) एक्सरसाइज की अवधि एवं एक्सरसाइज की प्रक्रिया:

बोर्ड/समितियों के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहता है, वह अवधि एक्सरसाइज अवधि होगी. एक्सरसाइज की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को किए गए ऑफर, आवेदन एवं अभिदान की राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसरण में शेयरों के आबंटन का समावेश होगा.

एच) प्रस्तावित ईएसपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

ऑफर जारी करने की तारीख पर पात्र कर्मचारी, लागू विनियामक आवश्यकताओं एवं दिशानिर्देशों के अधीन इसमें भाग लेने हेतु पात्र होंगे.

आई) प्रति कर्मचारी एवं समग्र रूप में जारी किए जाने वाले अधिकतम विकल्प शेयर, एसएआर, शेयर्स, जैसा भी मामला हो:

इस योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी जारी करने हेतु प्रस्तावित नये इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 6500 (छह हजार पांच सौ) होगी तथापि प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले शेयर बैंक के निर्गम पश्चात प्रदत्त पूंजी के 1% से अधिक नहीं होना चाहिए.

Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the holding of Government of India does not reduce below 52.00%.

b. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the Scheme.

c. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE BOB ESPS:

All permanent Employees of the Bank including the Whole Time Directors of the Bank.

d. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

e. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTIONS/ SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

f. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of the offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of 25% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board / Committee / Delegated Authority fixes Offer / Purchase Price.

g. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, *inter-alia*, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

h. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

i. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The Bank proposes to issue maximum of 6,500 (Six Thousand Five Hundred) equity shares per Employee subject however that the equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

जे) योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकतम लाभ:

उपरोक्त पैरा (i) में दर्शाए अनुसार पात्र कर्मचारियों को जारी इक्विटी शेयर के अलावा कर्मचारियों को कोई भी अन्य लाभ दिया जाना प्रस्तावित नहीं है.

के) क्या यह योजना (ए) सीधे तौर पर बैंक द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित की जाएगी अथवा किसी ट्रस्ट द्वारा इसे चलाया जाएगा:

इस प्रस्तावित योजना को सीधे तौर पर बैंक द्वारा ही संचालित किया जाएगा.

एल) क्या इस योजना में कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नए शेयर या ट्रस्ट द्वारा सेकेंडरी एक्विजीशन या दोनों शामिल होंगे:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा सीधे जारी किए जाएंगे.

एम) कंपनी द्वारा ट्रस्ट को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण, उसकी अवधि, उपयोग, चुकौती की शर्तें आदि:

इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नए इक्विटी शेयर पात्र कर्मचारियों को सीधे जारी किए जाएंगे और अतः इस संबंध में ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण उपलब्ध कराना लागू नहीं है.

एन) योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा तैयार की जा सकने वाली सेकेंडरी एक्विजीशन (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुरूप) का अधिकतम प्रतिशत:

लागू नहीं

ओ) इस आशय का एक स्टेटमेंट कि बैंक सेबी (एसबीईबी) विनियमन के विनियम 15 में दर्शाई गई लेखांकन नीतियों की पुष्टि करेगा:

बैंक समय-समय पर यथालागू एसबीईबी विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा-नीतियों की पुष्टि करेगा.

पी) बैंक द्वारा अपने विकल्प अथवा एसएआर के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त विधि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और अतः इस प्रकार विकल्पों के मूल्यांकन अथवा एसएआर लागू नहीं होंगे.

क्यू) निम्नलिखित विवरण (यदि लागू हों):

यदि बैंक यर्थाथ मूल्य का उपयोग कर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के एक्सपेन्सिंग का विकल्प चुनता है, तो इस प्रकार गणना की गई कर्मचारी कंपेन्सेशन लागत एवं यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया होता, तो जो कर्मचारी-कंपेन्सेशन लागत निर्धारित हुई होती- इनके बीच के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा और प्रति शेयर कमाई (ईपीएस) और लाभ के अंतर का भी बैंक द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा. उपर्युक्त आवश्यकताओं के लागू होने पर बैंक द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा.

j. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (i) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

k. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

l. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

m. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is **Not Applicable**.

n. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):

Not Applicable.

o. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations, as applicable from time to time.

p. THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

आर) लॉक-इन अवधि:

एसबीईबी विनियमनों के अनुसार वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत प्रस्तावित नई इक्विटी शेयर की लॉक-इन अवधि इसके आवंटन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी.

निदेशक मंडल द्वारा इस प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है.

पूर्णकालिक निदेशकगण एवं बैंक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय प्राधिकारी इस न्यूनतम प्रस्ताव से सरोकार रखते हैं, क्योंकि यह उनके लाभ के इरादे से तैयार किया गया है. अन्य निदेशकगण का इस प्रस्ताव से कोई सरोकार नहीं होगा.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

(पी. एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2019

r. LOCK-IN PERIOD:

The new equity shares proposed to be issued under BOB-ESPS shall be locked-in for a minimum period of One year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Whole Time Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date 22nd May 2019

NOTES

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय - बडौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर		डीपी आईडी नं	
		ग्राहक आईडी नं	
(यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या			

मैं/हम ______________________ निवासी ______________________
______________ जिला ______________ राज्य ______________________
बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती. ______________________ निवासी
______________ जिला ______________ राज्य ______________
को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती ______________ निवासी ______________ जिला ______________ राज्य
______________ को **गुरूवार, 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे** दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकडी के पास, वडोदरा – 390 019 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली **वार्षिक सामान्य बैठक** में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________ माह ______________ 2019 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ______________________

नाम ______________________

पता ______________________

____

रसीदी
टिकट
यहाँ
चिपकाएं

प्रथम नाम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा -
   - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ग. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

   प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है, तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. विधिवत स्टांप लगाया गया हो एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक के पास जमा की गयी हो एवं बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट से पंजीकृत हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग,प्रधान कार्यालय, 7 वां तल, बड़ौदा भवन , आर.एस. नंबर 576, आर.सी. दत्त रोड , सेंटर प्वाइंट के सामने , अल्कापुरी , बड़ौदा (गुजरात) 390 007 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात 21 जून, 2019 तक कार्य समाप्ति के पूर्व अर्थात् सायं 4.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदि पहले से पंजीकृत हों तो पंजीयन संख्या एवं तारीख का उल्लेख करें.
3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म ''बी'' में होने पर ही वैध माना जाएगा.
4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में,एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
8. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प के 'पक्ष' अथवा 'विपक्ष' में वोट कर सकते हैं.
9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara - 390 007.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We ____________________ resident/s of ____________________ in the district of ____________________ in the State of ____________________ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt ____________________ resident of ____________________ in the district of ____________________ in the State of ____________________ or failing him / her, Shri / Smt ____________________ resident of ____________________ in the district of ____________________ in the State of ____________________ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on **Thursday, 27th June 2019 at 10.00 a.m.** at Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390 019 and at any adjournment thereof.

Signed this ____________ day of ____________ 2019

Signature of Proxy ____________________

Name ____________________

Address ____________________

Please affix Revenue Stamp

Signature of first named / Sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, 7th Floor, Baroda Bhavan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before 4.00 p.m. on 21st June, 2019 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

India's International Bank